राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

E-mail:- rslsajp@gmail.com Website:- www.rlsa.gov.in

क्रमांक :– एफ–9( )राल्सा / स्टोर / 2017–18 / 36284 दिनांक 25/1/2018

ई–निविदा सूचना संख्या 02 / 2017–18

वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरणों में जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए संविदा हेतु अधिकृत एवं अनुभवी संस्थाओं से ई–निविदाए आमंत्रित की जाती है:–

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि	तकनिकी निविदा खोलने की अंतिम तिथि व समय
1.	जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए	27.50 लाख	55 हजार	30.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे से 19.02.2018 को 05.00 बजे तक	दिनांक 22.02.2018 को मध्यान्ह 3.00 बजे

निर्धारित समय पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 500 / – एवं अमानत राशि का बैंकर चेक / ड्राफ्ट जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में देय हो तथा प्रोसेसिंग शुल्क 500 / – जो RISL के पक्ष में देय हो स्वीकार किया जायेगा। निविदा प्रपत्र,शर्ते तथा अन्य आवश्यक विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल Website: www.spppa.raj.nic.in एवं बोली से संबंधित विवरण / शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in तथा राज्य प्राधिकरण की बेवसाईट www.rlsa.gov.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय,

(एस.के. जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

E-mail:- rslsajp@gmail.com Website:- www.rlsa.gov.in

मूल्य 500/– रूपये

ई–निविदा फॉर्म

जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए

ई–निविदा प्रपत्र

(दर संविदा)

1. ई–निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारंभ की दिनांक 30.01.2018 समय प्रातः 10.00 बजे से
2. ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक 19.02.2018 समय सांय 5.00 बजे तक
3. ई–निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 20.02.2018 समय सांय 5.00 बजे तक
4. अमानत राशि कार्य ऑर्डर/दिनांक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 20.02.2018 समय मध्यान्ह 5.00 बजे
5. तकनीकी ई–निविदा खोलने की दिनांक 22.02.2018 समय मध्यान्ह 3.00 बजे

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांकः– एफ 7 ( ) रालसा/संस्था–संविदा सेवा/2016–17/ दिनांकः–

ई–निविदा प्रपत्र

संदर्भ :– ई–निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक ....

1. ई–निविदादाता का नाम .... पत्राचार का स्थायी पता .... टेलीफोन नम्बर ....

2. ई–निविदा फर्म की राशि रूपये .... (अक्षरे ....) रसीद संख्या ....) दिनांक ....

3. बयाना राशि रूपये .... (अक्षरे ....) बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंकर चैक जमा रसीद संख्या .... दिनांक ....

4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना दिनांक .... एवं ई–निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तों संबंधी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

5. ई–निविदा संबंधी विवरण :–

   राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ परिसर, जयपुर को संविदा पर कार्यालय के कार्य हेतु निम्न सेवाओं की आवश्यकता है :–

क्र. सं.	नाम सेवा	संख्या	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति देय अधिकतम राशि प्रतिमाह	सर्विस प्रदाय के संबंध में फर्म द्वारा चार्ज की जाने वाली दर (प्रतिशत अंकित करें)
1.	तामिल कुनिन्दा कार्य जॉब कार्य के आधार पर	13	5,382/–	
2.	कम्प्यूटर मशीन विद् मैन कार्य जॉब वर्क	04	8,500/–	
3.	चतुर्थ श्रेणी कार्य जॉब वर्क	04	5,382/–	
4.	बाल सचिवालय, जयपुर/जोधपुर सीनियर मैनेजर एवं कन्सलटेंट	02	35,000/–	
5.	बाल सचिवालय, जयपुर/जोधपुर डाटा ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	20,000/–	

संलग्न :– ई–निविदा शर्ते।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
(पत्राचार का पूर्ण मय दूरभाष नम्बर)

ई–निविदा के लिए निविदा एवं संविदा शर्तें :–

1. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. राज्य सरकार के नियमानुसार फर्म GST नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये। समयानुसार कर जमा करवाने के दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
3. राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसर देय अवकाश प्रभावी होंगे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश जो कम्प्यूटर मशीन विद् मैन सभी सेवाओं पर लागू होंगे।
5. ई–निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
6. भरे हुए ई–निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत अमानत राशि डी.डी. / बैंकर्स चैक के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नाम से जमा करवाना होगा।
7. अमानत राशि के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. ई–निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक उपस्थित होकर निर्धारित ई–निविदा शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।
9. मोहर बन्द ई–निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त की जावेगी तथा निर्धारित दिनांक को उपस्थित ई–निविदाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाएँ रद्द कर दी जावेगी।
10. सभी दरें एफ.ओ.आर. देनी होगी।
11. सशर्त ई–निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. ई–निविदादात्ता सेवाओं की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी / वृद्धि की जा सकती है।
13. दरें शब्दों व अंकों दोनों में त्रुटि या उपरिलेखन के नहीं होनी चाहिए। यदि शुद्धि करनी तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए, दरों में करों / वेट की राशि पृथक से दर्शानी होगी।
14. (क) सफल ई–निविदादाता को 03 दिवस में निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

    (ख) ई–निविदा के समय जमा कराई गई बयाना रशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

    (ग) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

    (घ) प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में स्वीकार की जावेगी।

    (ड.) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (फोरफीट) कर लिया जावेगा, यदि संविदा की शर्त का उल्लंघन किया गया हो, ई–निविदादाता समय–समय पर वांछित सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो या सेवा उपलब्धता त्रुटिपूर्ण ना हों।

    (च) प्रतिवेदन निक्षेप के समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा, संबंध में समिति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) 1,000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर कर करार पत्र दो प्रतियों में ई–निविदादाता द्वारा स्वयं के सम्पूर्ण खर्चे पर निष्पादित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति ई निविदाकर्ता को दी जावेगी।

15. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा :–

(1) जब ई–निविदादाता ई–निविदा खोलने के बाद किन्तु ई–निविदा को स्वीकार करने पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, या उसमें उपान्तरण करता है।

(2) जब ई–निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(3) यदि वह विर्निदिष्ट समय के भीतर यदि कोई हो करार कर निष्पादन नहीं कराता है।

(4) यदि वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार वांछित सेवा प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

16. किसी भी ई–निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार किये बिना कोई कारण बताये किसी भी ई–निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी से अधिक के लिए ई–निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक की विभाग को सेवा लेने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

17. ई–निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये –

1. स्वयं की पंजीकृत फर्म हो तथा स्थानीय स्तर पर कार्यालय होना अनिवार्य है।
2. ई–निविदादाता फर्म गत 3 वर्षो (2014–15 से 2016–17) का सेवाएँ उपलब्ध कराने संबंधी अनुभव होना आवश्यक है।
3. सेवा उपलब्ध करवाने संबंधित प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
4. ई–निविदादाता फर्म का टर्नऑवर 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना अपेक्षित है।

18. किसी भी ई–निविदा का बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

19. किसी विवाद पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

20. शेष शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार होंगी।

21. ई–निविदादाता को वांछित सेवा की आपूर्ति कार्यादेश देने के 05 दिवस में करनी होगी।

22. ई–निविदादाता को सर्विस टैक्स के अलावा समाशोधन प्रमाण पत्र अधिकृत सेवादाता का देना होगा।

23. सेवाओं की आपूर्ति में विलम्ब करने पर नियमानुसार नुकसान की वसूली की जावेगी।

24. सेवा प्रदाता फर्म हर माह की 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से अपना बिल प्रस्तुत करेगी, समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

25. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) की सेवाएँ वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.07.2015 में निर्दिष्ट शर्तो के अनुसार ली जावेगी। (शर्ते संलग्न)

26. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर किराये की मासिक व्यय सीमा 8,500/– रूपये अधिकतम होगी, जिसमें एजेन्सी का सर्विस चार्ज सम्मिलित है।

27. प्रस्तुत दरों में सर्विस चार्ज की राशि अलग से दर्शायी जावे।

28. अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुबन्धित फर्म को प्रथमताया कार्यादेश छः माह के लिए दिया जावेगा। कार्य की समीक्षा के अनुसार संतोषप्रद सेवा पर समय–समय पर कार्यावधि बढ़ायी जा सकेगी।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर